श्रीमान नगर नियोजक भवन
विकास प्राधिकरण कानपुर.

(3)

विषय:- भूखण्ड सं० 139 ब्लाक एच स्कीम 1 फैक्ट्री एरिया कानपुर बिना अनुमति क्रय योग एफ.ए.आर. को शमन कर पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी का ग्रुप हाऊसिंग का मानचित्र परमिट सं० मैप/277/ग्रुप/शमन/16-17 दिनांक 4/2/17 को स्वीकृत हुआ था।

यह कि प्रार्थी चाहता है कि उसके ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र को जो बिना अनुमति क्रय योग एफ.ए.आर. पर निर्माण कर लिया है उसको शमन की कार्यवाही करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र देने की कृपा करें।

कृपया आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र बिना अनुमति क्रय योग एफ.ए.आर. को शमन करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद

दि० 12.04.2021

आज प्राप्त
7.05.21
कार्यालय भवन विभाग
कानपुर विकास प्राधिकरण

संलग्न:-
1. स्वीकृत मानचित्र की प्रति
2. शमन मानचित्र की प्रति
3. शपथ पत्र
4. फायर एन.ओ.सी.
5. जल कल एन.ओ.सी.
6. नगर निगम एन.ओ.सी.
7. प्रदूषण एन.ओ.सी.
8. समस्त एजेन्सी की छाया प्रतियां

प्रार्थी
[signature]
नितिन गोयल
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(तपस्या प्रोजेक्ट्स लि०)
14/73 सिविल लाइन्स
कानपुर

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, कानपुर रीजन, कानपुर
123/494, के0एन0टी0 बिल्डिंग, फजलगंज, कानपुर।

संख्या 130 उ0नि0/वि0सु0/का0री0/लिफ्ट/निरी0/2021–22, दिनांक : 9-06-2021

सेवा में,

मैसर्स फाइव रोजेज,
139, ब्लाक–एच, स्कीम–1, एफडब्ल्यू एरिया, फजलगंज,
जिला कानपुर नगर।

विषय : आपके परिसर में अधिष्ठापित 12 नं0 लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक शून्य एवं दिनांक शून्य।
निरीक्षण शुल्क का विवरणः– (ट्रेजरी चालान संख्या VID210030121, दिनांक 04-06-2021 रुपया 18,000–00)

महोदय,

आपके परिसर में अधिष्ठापित 12 नं0 लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक–09.06.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त अधिष्ठापन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा के उपाय) विनियम–2010 के सुसंगत विनियमों का सामान्यतः अनुपालन करता हुआ पाया गया।

लिफ्ट्स का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल/जाब नं0
1	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.09.29/07
2	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.11.07/12
3	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.09.28/25
4	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.09.28/24
5	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.07.07/01
6	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.09.29/06
7	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.08.10/07
8	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.06.26/09
9	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.07.06/26
10	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.07.07/02
11	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2017.11.07/13
12	लिफ्ट	Schindler	6 व्यक्ति	415 वोल्ट	2018.05.26/02

अतः उक्त लिफ्ट्स को प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोट :—कृपया लिफ्ट्स का अनुरक्षण कार्य ओरिजनल मैन्यूफैक्चरर से ही करायें एवं उनका का समय–समय पर अनुरक्षण तथा ठीक प्रकार से परिचालन एवं यांत्रिक रूप से ठीक रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मात्र विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। यांत्रिक सक्षमता की जिम्मेदारी मैन्यूफैक्चरर तथा उपभोक्ता की है।

भवदीय,

(लाल बहादुर गुप्ता)
उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उ0प्र0 शासन, कानपुर रीजन, कानपुर।

यह प्रमाण–पत्र तीन वर्ष के लिये मान्य है।

संख्या उ0नि0/वि0सु0/का0री0/लिफ्ट/निरी0/2021–22, तदिदनांक :

उपरोक्त की प्रतिलिपि निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(लाल बहादुर गुप्ता)
उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उ0प्र0 शासन, कानपुर रीजन, कानपुर।

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

दूरभाष सं0 : 0512–2530834
फैक्स सं0 : 0512–2530832

"केसा हाउस"
14/71,सिविल लाइन्स
कानपुर– 208001

दिनांक: 22.6.15

पत्रांकः 512 / वि0भार/पीए(टी)

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ द्वारा जारी **"विद्युत आपूर्ति संहिता 2005"** के तृतीय संशोधन के प्रस्तर **4.9** में निहित आदेशो के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदक के सम्मुख दिये गये विवरणानुसार भवन/परिसर के विद्युतीकरण हेतु **1200.00 के0वी0ए0** का विद्युत भार **एकलबिन्दु** मीटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:–

क्रम सं0	पंजीकरण सं0	आवेदक का नाम/पता	भार लेने का स्थान	विद्युत भार	विभव	विधा/ टैरिफ
01	एम.एस.बी. /49/ 14–15	मेसर्स तपस्या प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, वास्ते श्री नितिन गोयल, परिसर सं0 139 एच ब्लाक, फजलगंज, कानपुर ।	परिसर सं0 139 एच ब्लाक, फजलगंज, कानपुर ।	1200 के0वी0ए0	6.6 के0वी0	आवासीय

1. **आवेदक को उपरोक्त भार की स्वीकृति उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र सं0 354/भवन/2012–13 दिनांक 27.12.2013 के अन्तर्गत की गयी है। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित करने पर भार निरस्त कर दिया जायेगा।**
2. **उक्त विद्युत भार जी–23 फीडर का लोड नवनिर्मित उपकेन्द्र गिरधर कोल्ड स्टोरेज पर स्थानान्तरित होने के पश्चात् ही अवमुक्त/निर्गत किया जायेगा। जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (वि0) की होगी।**
3. उपरोक्त भार केस्को की **विद्युत आपूर्ति संहिता 2005** (तृतीय संशोधन) के **प्रस्तर 4.9** के तहत अवमुक्त किया जायेगा।
4. **भार की स्वीकृति/अवमुक्ति आदि के सम्बन्ध में नियम में वर्तमान नियमों व समय–समय पर संशोधित नियमो का पालन आवेदक द्वारा मान्य होगा।**
5. विद्युत आपूर्ति शासन/निगम द्वारा समय–समय पर लागू रोस्टिंग कार्यक्रम के अनुसार होगी।
6. प्रस्तावित परिसर में पूर्व में विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में बकाया राशि पूरी जमा करने एवं निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई और धनराशि देय होगी तो उक्त सन्दर्भित भी आवेदक को भुगतान करनी होगी।
7. कम्पनी द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
8. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में विद्युत आवश्यकता/मॉग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपर्युक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, उसके लिये कम्पनी/निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
9. यह स्वीकृति उसी दशा में मान्य होगी,जब शासनादेश सं0 501/09–अ–2001(ब) दिनाक 3.2.01 में दी गयी शर्तो एवं भूकम्परोधी अन्य आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया गया था।
10. भवन के विद्युतीकरण हेतु टी0सी0 के साथ निदेशक विद्युत सुरक्षा से भार अवमुक्त की अनुमति नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करनी होगी एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0शासन,कानपुर के पत्रांक 2031 दिनांक 16.02.02 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। कनेक्शन अवमुक्त होने से पूर्व आवेदक विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा विद्युतीकरण का निरीक्षण करवायेगा तथा क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा।
11. सिस्टम लोडिंग चार्जेज अन्य चार्जेज/धनराशि नियमानुसार देय होगी।
12. ऊर्जा मापक (इनर्जी मीटर) भूतल पर लगाया जायेगा। मीटर लगाने के लिये विकासकर्ता/आवेदक द्वारा पर्याप्त सुरक्षित स्थान/कमरा उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक आपूर्ति के बिन्दु को ऐसे अवधारित करेगा कि मीटर और अन्य उपकरण सदैव निरीक्षण के लिए अवरोध के बिना अनुज्ञप्तिधारी के लिए पहुँच योग्य हो तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा मापक कक्ष में पहुँच के लिए स्वतन्त्र प्रवेश दे।

13. प्लॉट/अपार्टमेन्ट/भवन पर कोर्ट केस होने की दशा में या के0डी0ए0/कानपुर नगर निगम/ तहसील द्वारा विवाद उत्पन्न होने पर विद्युत संयोजन अवमुक्त नही किया जायेगा एवं यह स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
14. आदेश सं0 1388/पी0ए0(टी0)/केस्को, दिनांक 05.02.2014 के अनुपालन में उपभोक्ता के भार स्वीकृति पश्चात् सम्बन्धित कार्य सम्पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कराया जाएगा। यदि विद्युतीकरण का कार्य आवेदक द्वारा कराया जाता है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनपरान्त ही 15 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जमा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
15. केबिल/स्विच गियर परिवर्तक एवं अन्य सम्बन्धित विद्युत सामग्री/उपकरण,जो विकासकर्ता/आवेदक द्वारा लगवाये जायेगे का निरीक्षण फर्म के सस्थान पर अधिशाषी अभियन्ता वि0 एवं परी0 ख0 अथवा उनके प्रतिनिधि जो सहायक अभियन्ता स्तर से कम न हो के द्वारा सम्मिलित रूप सें किये जाने के उपरान्त ही विद्युत उपकरण व अन्य सामग्री को स्थापित किया जायेगा। तथा उनके क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत/बदलवाने का कार्य विकासकर्ता को सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता वितरण से उनके अनुमोदन के बाद उपकरण लगाने की तिथि से 36 माह तक स्वयं कराने होगें।
16. विद्युतीकरण से सम्बन्धित अन्तिम ड्राइंग/प्राकलन आदि विकासकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता वितरण को प्रस्तुत किया जायेगा एवं महाप्रबन्धक वितरण की स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित केस्को मुख्यालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
17. **विद्युत भार अवमुक्त करने के सन्दर्भ में विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4 के नियमो का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जायेगा। तथा नियमानुसार चार्जेज जमा कराने के उपरान्त ही विद्युत संयोजन दिया जायेगा।**
18. विद्युत आपूर्ति करने वालें उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित 11/6.6 फीडर के अधिभारित होने की दशा में उपकेन्द्र/फीडर की क्षमता वृद्धि करने के उपरान्त ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
19. भार स्वीकृति हेतु बनाये गए प्रांकलन की धनराशि केस्को में जमा करने के उपरान्त ही अस्थायी/स्थायी संयोजन निर्गत किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता
केस्को

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अधीक्षण अभियन्ता वि0/वि0 मण्डल–द्वितीय केस्को कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सभी विद्युत सामग्री/उपकरणो का स्थापन अनुमोदित ड्रांइग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
2 उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण,मोतीझील कानपुर।
3 अधिशाषी अभियन्ता, बल्क, केस्को कानपुर।
4 अधिशाषी अभियन्ता वा0/वि0–**गुमटी** केस्को कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि नये कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही प्रांकलन मानक के अनुरूप बनाया जायेगा एवं उपरोक्त विद्युत भार की निर्गतीकरण एवं सम्बन्धित परिवर्तक के ऊर्जीकरण की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करायें।
5 सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, फजलगंज, कानपुर।
6. मेसर्स तपस्या प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, वास्ते श्री नितिन गोयल, परिसर सं0 139 एच ब्लाक, फजलगंज, कानपुर ।।

(मनीष कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक)

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: **UPFS/2020/20169/KPN/KANPUR NAGAR/381/CFO**

दिनांक: **03-07-2020**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **FIVE ROSES** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **139 BLOCK-H SCHEME-1 FAZALGANJ,FAZALGANJ,KANPUR** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **13112.05 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **39479.54** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MAIN BLOCK 4 BHK AND 3 BHK	15	2	44.81 mt.
LIG EWS	13	2	39.01 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **FIVE ROSES** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **03-07-2020** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NITIN GOEL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-07-2020** से **05-07-2025** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **FIVE ROSES** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **FIVE ROSES** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : All fire fighting system must be in working condition all the time and a trained fire safety officer should be assigned for these duties. Subject to affidavit conditions.

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By

(MAHENDER PRATAP SINGH)

[C11D255907D0CA56BAADDE4898150EFB56FC9AD9]

06-07-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : **06-07-2020**

स्थान : **KANPUR NAGAR**

फोन नं० : 0512–2534001–6 फैक्स : 0512–2533812
E-mail : vc@hbtu.ac.in, registrarhbtu@gmail.com

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

कानपुर –208002 (भारत)
KANPUR-208002 (INDIA)

No.: 457/ CE / Consultancy
Dated: 05.01.2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the structural design and drawings submitted by M/s Design Incorpotares, 102, Anand Keshav, 8/220, Arya Naagr, Kanpur (Structural Consultant: M/s Span Structures, Lucknow) for the construction of Group Housing Project "Dilbagh Rose Garden" at Plot No. 139, Block – H, Scheme – 1, Fazalganj, Kanpur has been checked by the undersigned and found safe for the construction as per the relevant Indian codes of Practice for Earthquake Rsistant Structures.

(Dr. Sunil Kumar)
Professor, Deptt. of Civil Engg.

Dr. Sunil Kumar
Professor
Department of Civil Engg.
H.B. Technical University
KANPUR-208002